



प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE

नई दिल्ली-110011
New Delhi-110011

20-Jan-2026

NO.82(28483)/2025-PMF

To

MEDICAL SUPERINTENDENT
BILLROTH HOSPITALS
43, LAKSHMI TALKIES ROAD
SHENOY NAGAR, CHENNAI -30
TAMIL NADU

Dear Sir/Madam,

कृपया अपने दिनांक 16/10/2025 के पत्र/अनुमान/प्रमाणपत्र का संदर्भ लें, जो SMT. WAHIDHA AYUB के Cancer Treatment के उपचार के लिए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में है (अस्पताल संदर्भ संख्या 70230924)। शल्य चिकित्सा/उपचार में होने वाले खर्च की अंशतः पूर्ति के लिए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से ₹300000.0 का अनुदान सिद्धांततः स्वीकृत किया जाता है।

Please refer to your letter/estimate/certificate dated 16/10/2025 regarding financial assistance from PMNRF for the Cancer Treatment of SMT. WAHIDHA AYUB (Hosp No.70230924). A grant of ₹300000.00/- (Three Lakh Only) from Prime Minister's National Relief Fund to partially defray the expenses involved in the Cancer Treatment is sanctioned in-principle.

2. अस्पताल, इस पत्र के प्राप्त होने के बाद रोगी के Cancer Treatment की जिम्मेदारी लेगा और होने वाले वास्तविक खर्च का ब्यौरा निर्धारित प्रपत्र (पहले ही भेजा जा चुका है) में इस कार्यालय को सीधे ही उपलब्ध कराए ताकि यह कार्यालय भुगतान जारी कर सके। जारी की जाने वाली अनुदान राशि अनुमेय अवधि के दौरान हुए खर्च तक सीमित रहेगी जो स्वीकृति की पूरी धनराशि तक होगा।

The hospital shall assume responsibility for the Cancer Treatment of the patient on receipt of this communication and furnish details of the actual expenditure incurred directly to this office in the format prescribed (already supplied) to enable this office to release payment. Release of grant will be limited to expenditure incurred during the admissible period upto the full amount of sanction.

3. इस स्वीकृति पत्र के आधार पर किसी भी प्रकार की क्रेडिट सुविधा / इलाज की सुविधा प्रदान करते समय अस्पताल मरीज की सत्यता सुनिश्चित करेगा। किसी प्रकार का संदेह होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाए। अस्पताल द्वारा जारी एस्टिमेट की प्रति संदर्भ हेतु संलग्न है।

The hospital shall ascertain the veracity of the patient while extending any credit facility/treatment against this sanction letter. In case of any doubt, the same may be brought to the notice of this office immediately. Copy of the estimate issued by the hospital is enclosed for reference.

4. प्रधान मंत्री कार्यालय में रोगी/आवेदक का अनुरोध प्राप्त होने की तारीख 30/10/2025 है। आर्थिक सहायता इस पृष्ठ के पीछे उल्लिखित शर्तों और पहले ही बताए गए नियमों और शर्तों के अनुसार होगी। इस स्वीकृति पत्र की वैधता जारी होने की तारीख से दो वर्ष तक है। किन्तु, अस्पताल स्वीकृति पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उपचार शुरू करेगा।

The date of receipt of patient's / applicant's request in PMO is 30/10/2025. Financial assistance is subject to the conditions mentioned overleaf and the terms and conditions already communicated. The validity of this sanction letter is for a period of two years from the date of issue. However, the hospital should commence treatment within one year from the date of issue of this sanction letter.

Yours faithfully

(Pradeep Kumar Srivastava)
Under Secretary (Funds)

Copy for Information to:

1] SMT. WAHIDHA AYUB
W/O SHRI AYUB KHAN, 7/102-9, NADAR STREET,
PALPAKKI VILLAGE, PACHANAMPATTI, SALEM, TAMIL
NADU 636455
with reference to the letter dated nil

2] SHRI SELVAGANAPATHI T.M., MP
ROOM NO. 207, VAIGAI, OLD TAMIL NADU HOUSE, 6,
KAUTILYA MARG, NEW DELHI - 110021
with reference to letter dated 26/10/2025

(Pradeep Kumar Srivastava)
Under Secretary (Funds)

प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से चिकित्सा उपचार हेतु आर्थिक सहायता की सामान्य शर्तें
GENERAL CONDITIONS FOR FINANCIAL ASSISTANCE FROM PRIME MINISTER'S
NATIONAL RELIEF FUND (PMNRF):

- (i) खर्च की प्रतिपूर्ति अनुमेय नहीं है, अर्थात् प्रधान मंत्री कार्यालय में प्रारम्भिक अनुरोध के प्राप्त होने से पहले शल्य चिकित्सा/उपचार पर हुए खर्च पर विचार नहीं किया जाएगा।

Re-imburement of expenditure, is not admissible, i.e. expenditure incurred on surgery/treatment prior to receipt of initial request in Prime Minister's Office will not be considered.

- (ii) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से आर्थिक सहायता विशेष बीमारियों के लिए केवल एक-बारगी अनुदान के रूप में ही स्वीकृत की जाती है और यह चिकित्सा प्रमाण-पत्र/खर्च का अनुमान देने वाले अस्पताल के लिए ही वैध होती है। यदि यह पाया जाता है कि रोगी/आवेदक ने पहले भी किसी मौके पर प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से आर्थिक सहायता प्राप्त की है, तो स्वीकृति निरस्त कर दी जाएगी।

The financial assistance is sanctioned, for specific diseases, as a one-time grant only and is valid only for the hospital issuing the medical certificate / estimate. If it is discovered that the patient / applicant has obtained financial assistance out of PMNRF on any earlier occasion, the sanction would stand cancelled.

- (iii) अस्पताल, को विचाराधीन विशिष्ट अनुदान के बारे में सूचित किया जाएगा। स्वीकृति सैद्धांतिक रूप में होगी और यह नहीं समझा जाएगा कि यह धनराशि पूर्ण रूप से जारी की जाएगी।

The hospital will be informed of the specific grant under consideration. The Sanction would be in-principle and should not be construed that this amount will be released entirely.

- (iv) अस्पताल, विचाराधीन विशिष्ट अनुदान के बारे में प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से जारी पत्र, अर्थात् सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र, के जारी होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उपचार/शल्य चिकित्सा शुरू करेगा, अन्यथा सैद्धांतिक स्वीकृति रद्द हो जाएगी।

The hospital should commence treatment / surgery within one year from the date of issue of letter from PMNRF conveying the specific grant under consideration i.e. in-principle sanction letter, failing which the in-principle sanction will lapse.

- (v) शल्य चिकित्सा/उपचार के पूरा होने के बाद, अस्पताल निर्धारित प्रपत्र में रोगी के उपचार आदि पर हुए वास्तविक खर्च के पूरे व्यौरे के बारे में इस कार्यालय को सूचित करेगा। प्रधान मंत्री कार्यालय में सूचना प्राप्त होने पर अस्पताल/रोगी को जल्दी से जल्दी अनुमेय धनराशि जारी कर दी जाएगी।

On completion of surgery / treatment, the hospital will intimate this office regarding full details about the actual expenditure incurred on the treatment etc. of the patient, in the prescribed format and admissible amount will be released to the hospital / patient at the earliest on receipt of intimation from the hospital in the Prime Minister's Office.

- (vi) अस्पताल किसी भी परिस्थिति में अनुदान को न तो किसी दूसरे अस्पताल को पूर्ण रूप से या हिस्से के रूप में हस्तांतरित करेगा और न ही रोगियों को इसका खर्च न हुआ हिस्सा जारी करेगा। खर्च न की गई धनराशि तत्काल ही इस कार्यालय को वापस की जाएगी।

The hospitals should neither transfer the grant either in full or in part to other hospital (s) nor release the unspent part to the patients under any circumstances. The unutilized amount should promptly be refunded to this office immediately.

- (vii) भविष्य में पत्राचार करते समय स्वीकृति पत्र की संख्या तथा तारीख अवश्य लिखी जानी चाहिए।

For all future correspondence, the sanction letter number and date should invariably be quoted.

- (viii) प्रधान मंत्री कार्यालय को, किसी भी समय बगैर कोई कारण बताए स्वीकृति आदेश रद्द करने का अधिकार है।
The Prime Minister's Office reserves the right to cancel the sanction order at any point of time without assigning any reasons.



सत्यमेव जयते

प्रधानमंत्री
Prime Minister

नई दिल्ली

दिनांक 20/01/2026

प्रिय SMT. WAHIDHA AYUB

आपको गंभीर बीमारी से मुक्त करने के लिए Cancer Treatment की अनिवार्यता हो गई है, ऐसा ज्ञात हुआ है।

आपकी आर्थिक स्थिति इस आपदा की पहुँच से बाहर है यह मैं समझ सकता हूँ। इसलिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से आपकी चिकित्सा हेतु खर्च की अंशतः पूर्ति के लिए सहायता के रूप में रु० 300000.00 (Rupees Three Lakh Only) की राशि सौद्धांतिक रूप से मंजूर की गई है।

आप के परिवार की निस्सहाय परिस्थिति में सरकार आपकी सहायक बनी, किन्तु यह राशि जनता के द्वारा दिये गये सहयोग में से प्रदान की गई है। आप का परिवार समाज के इस ऋण को कभी नहीं भुला सकता, ऐसा मेरा विश्वास है।

आप रोग मुक्त हो जाएं, परिवार के सुख दुःख में सहभागी रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है।

सादर,

आपका,

(नरेन्द्र मोदी)

011
011
026

B के
संदर्भ
कोष से

ANRF
Lakh
tment

स्तविक
के यह
गी जो

of this
cribed
curred

अस्पताल
अस्पताल

against
Copy of

इस पृष्ठ
शी होने की
।
subject to
is sanction
ent within

ly

(Pradeep Kumar Srivastava)
Under Secretary (Funds)

Information to:

SMT. WAHIDHA AYUB
W/O SHRI AYUB KHAN, 7/102-9, NADAR STREET,
PALPAKKI VILLAGE, PACHANAMPATTI, SALEM, TAMIL